

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक:-

सं०सं०-01/श्रम वि०स्था०(1)10-26/2023...../श्र०सं०- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को कंडिका-05 में नामित पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम/ आरक्षण कोटि/वेतनमान	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2024 के अनुसार)	वर्तमान कोटि/पद	अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यकारी प्रभार (वेतन सहित) देने हेतु पदनाम एवं वेतनमान
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री राजेश कुमार, उप श्रमायुक्त/सामान्य वेतन स्तर-12	8	उप श्रमायुक्त	संयुक्त श्रमायुक्त वेतन स्तर-13
2	श्री विनोद कुमार प्रसाद, सहायक श्रमायुक्त/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग वेतन स्तर-11	15	सहायक श्रमायुक्त	उप श्रमायुक्त वेतन स्तर-12
3	मो० जावेद रहमत सहायक श्रमायुक्त/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग वेतन स्तर-11	17	सहायक श्रमायुक्त	उप श्रमायुक्त वेतन स्तर-12
4	श्री सुबोध कुमार सहायक श्रमायुक्त/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग वेतन स्तर-11	18	सहायक श्रमायुक्त	उप श्रमायुक्त वेतन स्तर-12
5	श्रीमती पुनम कुमारी सहायक श्रमायुक्त/ पिछड़ा वर्ग की महिला वेतन स्तर-11	19	सहायक श्रमायुक्त	उप श्रमायुक्त वेतन स्तर-12
6	श्री शशि शेखर श्रम अधीक्षक/सामान्य वेतन स्तर-09	30	श्रम अधीक्षक	सहायक श्रमायुक्त वेतन स्तर-11
7	श्री जगन्नाथ पासवान श्रम अधीक्षक/अनु० जाति वेतन स्तर-09	34	श्रम अधीक्षक	सहायक श्रमायुक्त वेतन स्तर-11

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने स्तंभ- 05 में अंकित पद एवं वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

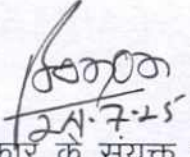
ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-01/श्रम वि०स्था०(1)10-26/2023.....4.6.../श्र०सं०, पटना-01, दिनांक-24/7/25

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारियों/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों तथा आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24.7.25
सरकार के संयुक्त सचिव